झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393. Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक 13-E-5-12/2019:– 536 दिनांक :– 29/02/2020

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक 6979 दिनांक 14.12.2019, पत्रांक 111 दिनांक 04.01.2020 एवं पत्रांक 689 दिनांक 11.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28.02.2020 को किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान आप भी साथ में थे। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अपयोजित होने वाले वनभूमि से होकर दोमुहानी नाला गुजरा है। परंतु आपसे प्राप्त प्रस्ताव के नक्शा में उक्त नाला को नहीं दर्शाया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान बारियातु पी0एफ0 में कई Perennial एवं seasonal नाले देखे गये। बारियातु पी0एफ0 में ही मगरदाहा नाला का उद्गम स्थल भी देखा गया। उक्त परियोजना के अग्रसारण में आपके द्वारा भी परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाले जल स्रोतों के संबंध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है। फलस्वरूप यह आवश्यक है कि कैडस्ट्रल मैप एवं टोपो मैप की मूल प्रति में जो भी नदी, नाले एवं जल स्रोत दर्शाए हुए हैं वे सभी प्रस्ताव के साथ संलग्न मैप पर भी दर्शाया हुआ हो। वर्त्तमान में समर्पित नक्शों में दर्शाया हुआ नहीं है।

अतः प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की सभी आठ मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में भेजते हुए अनुरोध है कि प्रयोक्ता अभिकरण से दोमुहानी एवं अन्य नदी–नाले को नक्शा (कैडस्ट्रल मैप एवं टोपो मैप) पर दर्शाते हुए प्रस्ताव प्राप्त कर संशोधित प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चत करें ताकि प्रस्ताव के अनुमोदन/अनुसंशा के विचार के समय सभी स्तरों पर इस तथ्य का समावेश हो सके।

अनुलग्नक–यथोक्त

आपका विश्वासी

29/02/2020

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

29.02.2020

\\India\d\CFH\F.C. Act\NTPC pakaribarwadih coal block 331.198 ha\13-5-12-2019.docx